WWW.LIVELAW.IN

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072020-220497
CG-DL-E-13072020-220497

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2020/आषाढ़ 22, 1942
No. 338] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2020/ASADHA 22, 1942

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

सा.का.नि.441(अ).—उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 जिन्हें केन्द्र सरकार उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40वां) की धारा 22 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथापेक्षित एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर सरकारी राजपत्र जिसमें इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाएंगी, प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस संबंध में सुझाव अथवा आपत्तियां, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 के पास भेजे जाएं।

उन सुझावों और आपत्तियों, जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ –** (1) इन नियमों को उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

WWW.LIVELAW.IN

2. **परिभाषा** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40वां) से है;

(ख) "शपथ पत्र" से अभिप्रेत आवेदक द्वारा अपने स्वत: लिंग की पहचान करने के लिए प्रपत्र-2 में प्रस्तुत किए जाने वाले स्वत: सत्यापित शपथ पत्र से है।

(ग) "आवेदक" से अभिप्रेत उस उभयलिंगी व्यक्ति से है जो नियम 3 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(घ) "आवेदन" से अभिप्रेत प्रपत्र-1 में यथा विहित आवेदन पत्र से है।

(ङ) "पहचान प्रमाण पत्र" से अभिप्रेत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के अंतर्गत क्रमश: प्रपत्र-3 अथवा प्रपत्र-4 में जारी प्रमाण पत्र से है।

(च) "भेदभाव" से अभिप्रेत लिंग और अभिव्यक्ति की पहचान करने के आधार पर कोई भेद, अपवर्जन अथवा प्रतिबंध लगाने से है जिसका प्रयोजन अथवा प्रभाव मान्यता को बाधित अथवा समाप्त करने, अन्य व्यक्तियों की तरह समान आधार पर और राजनीतिक, आर्थिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, सिविल अथवा अन्य किसी क्षेत्र में लाभ उठाने अथवा उपयोग करने सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का और उपयुक्त आवास को देने की मनाही सहित सभी किस्म के भेदभाव से है।

(छ) "पहचान पत्र" से अभिप्रेत इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी उभयलिंगी व्यक्ति को जारी किए "पहचान प्रमाण पत्र" अथवा राज्य प्राधिकारी उभयलिंगी व्यक्ति को जारी किए गए "पहचान प्रमाण पत्र" के आधार पर धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र-5 में जारी अथवा किसी उभयलिंगी व्यक्ति को धारा 7 के अंतर्गत लिंग परिवर्तन के आधार पर प्रपत्र-6 में जारी फोटो पहचान पत्र से है।

(ज) "चिकित्सा संस्थान" से अभिप्रेत ग्रामीण क्षेत्रों अथवा शहरी क्षेत्रों अथवा ओवरसीज में स्थित किसी चिकित्सा संस्थान चाहे वह निजी अथवा सरकारी अस्पताल या क्लीनिक हो, से है।

(झ) "किन्हीं सरकारी कागजातों" से अभिप्रेत **अनुबंध-I** में सूचीबद्ध सभी कागजातों से है जिन्हें समुचित सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संशोधित करेगी।

(ञ) "पद्धति" से अभिप्रेत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 6 अथवा धारा 7 के अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति से है।

(ट) "धारा" से अभिप्रेत अधिनियम की धारा से है।

(ठ) इस अधिसूचना में प्रयोग किए गए अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें परिभाषित नहीं की गई हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित की गई है, का वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम में परिभाषित की गई है।

3. **धारा 6 अथवा धारा 7 के अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन :**

(1) उभयलिंगी व्यक्ति जो पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इच्छुक है, वह प्रपत्र-1 में यथाविहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) जब तक ऑनलाइन सुविधाएं विकसित नहीं की जाती हैं, तब तक जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे अथवा डाक द्वारा भेजे जाएंगे और तत्पश्चात् आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत किए जाएंगे :

WWW.LIVELAW.IN

बशर्ते कि समुचित सरकार दूरस्थ क्षेत्रों अथवा वंचित परिस्थितियों में रहने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों द्वारा पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई उपयुक्त प्रयास, जैसा वह उचित समझे, नहीं करती है।

बशर्ते कि नबालिग बालक के मामले में, यह आवेदन उसके माता-पिता अथवा नबालिग बालक के मामले में अभिभावक द्वारा और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के मामले में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) जिन उभयलिंगी व्यक्तियों ने अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व अपना लिंग, चाहे वह पुरुष, महिला या उभयलिंगी हो, परिवर्तित करके सरकारी तौर पर दर्ज कराया है, उन्हें इन नियमों के अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्ति को प्रदत्त सभी अधिकारों और पात्रताओं का लाभ उठा रहे हों।

4. **धारा 6 के अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पद्धति -** (1) जिला मजिस्ट्रेट चिकित्सा जांच के प्रपत्र-2 में किसी व्यक्ति की लिंग पहचान की घोषणा करने के आधार पर प्रस्तुत शपथ पत्र, जो बिना किसी चिकित्सा जांच के प्रस्तुत किया जाएगा, आवेदन के सही होने के बशर्ते कार्रवाई करेगा और आवेदक को पहचान संख्या जारी करेगा जिसे आवेदन के प्रमाण के रूप में उद्‌त किया जाएगा।

(2) निवास स्थान के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पिछले बारह माह से निरंतर अवधि से जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और इस संबंध में प्रपत्र-2 में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा उससे और कोई प्रमाण नहीं मांगा जाएगा।

5. **धारा 6 के अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्ति के लिए पहचान प्रमाण पत्र जारी करना -** (1) जिला मजिस्ट्रेट नियम 4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्रवाई करते हुए प्रपत्र-3 में पहचान प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति का लिंग अंकित होगा।

(2) उक्त पहचान प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सहित विधिवत रूप से भरे आवेदन के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर जारी किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) के अंतर्गत जारी पहचान प्रमाण पत्र, उक्त पहचान प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट लिंग के अनुसार **अनुबंध-I** में यथा-निर्धारित ऐसे सभी सरकारी कागजातों में उभयलिंगी व्यक्ति का लिंग तथा उसका नाम और फोटो में परिवर्तन करने का आधार होगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट उप नियम (1) के अंतर्गत आवेदक को पहचान प्रमाण पत्र जारी करते समय, प्रपत्र-5 में उभयलिंगी व्यक्ति पहचान पत्र जारी करेगा।

(5) जारी किए गए उक्त पहचान प्रमाण पत्र और उभयलिंगी व्यक्ति के पहचान पत्र को उपयुक्त सरकारों द्वारा लोक सेवा के प्रयोजनार्थ अपने रिकार्ड में शामिल किया जाएगा।

(6) जो प्राधिकारी, नियम 3 के अंतर्गत आवेदन के आधार पर सरकारी कागजात जारी करता है, वह ऐसे आवेदन के प्रस्तुत करने के पन्द्रह दिन के भीतर सरकारी कागजातों में आवेदक का नाम अथवा लिंग अथवा दोनों को परिवर्तित कर सकेगा।

(7) किसी सरकारी कागजात, जिसमें उभयलिंगी व्यक्ति का लिंग, नाम और फोटो उक्त पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधित किया गया है, में उस उभयलिंगी व्यक्ति जिसने अपना नाम या लिंग या दोनों में परिवर्तन कराया है, के मूल सरकारी कागजात में उल्लिखित समान क्रम संख्या अथवा संदर्भ संख्या होगी :

WWW.LIVELAW.IN

बशर्ते कि कोई उभयलिंगी व्यक्ति राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, यदि कोई हो, के आधार पर लाभ पाने का पात्र था, वह उभयलिंगी व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत जारी पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर उन लाभों को पाने का पात्र होगा।

6. धारा 7 के अंतर्गत लिंग परिवर्तित करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पद्धति -

(1) यदि कोई उभयलिंगी व्यक्ति, पुरूष अथवा महिला के रूप में लिंग परिवर्तित के लिए मेडिकल हस्तक्षेप का सहारा लेता है तो वह व्यक्ति जिसने उक्त चिकित्सा हस्तक्षेप का सहारा लेता है, तो वह व्यक्ति जिनसे चिकित्सा हस्तक्षेप करवाया है, वह उस चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र के साथ धारा 7 के अंतर्गत संशोधित पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को **प्रपत्र-1** में आवेदन कर सकता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन की प्राप्ति पर उक्त मेडिकल प्रमाण पत्र के सही होने की जांच करेगा।

(3) आवास स्थान का पता लगाने के प्रयोजनार्थ, आवेदक को आवेदन की तारीख पर लगातार पिछले बारह महीने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और इससे संबंधित शपथ-पत्र प्रपत्र-1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा कोई और अतिरिक्त प्रमाण नहीं मांगा जाएगा।

7. धारा 7 के अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र जारी करनाः- (1) धारा 7 के अंतर्गत लिंग बदलाव चाहने वाले आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट प्रपत्र-4 में संशोधित प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति को पुरूष अथवा महिला, जैसा भी मामला हो, दर्शाया जाएगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उप-नियम (1) के अंतर्गत संशोधित प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी पहचान-पत्र **अनुबंध-I** में दिए गए सभी सरकारी कागजातों में उभयलिंगी व्यक्ति के लिंग, फोटो के साथ-साथ नाम का रिकार्ड अथवा बदलाव, करने के लिए आवेदक को पात्र बनाएगा जो उक्त प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट पुरूष अथवा महिला, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप होगा।

(4) लिंग बदलाव के लिए पहचान प्रमाण-पत्र जारी करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट साथ ही आवेदक को **प्रपत्र-6** में पहचान पत्र जारी करेगा।

(5) पहचान प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र जारी करने को समुचित सरकार द्वारा जन सेवाओं के प्रयोजनार्थ अपने रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।

(6) सरकारी कागजात जारी करने वाला प्राधिकारी नियम-3 के अंतर्गत आवेदक द्वारा किए गए ऐसे आवेदन के 15 दिनों के भीतर सरकारी कागजातों में आवेदक का नाम अथवा लिंग अथवा दोनों में बदलाव करेगा।

(7) उक्त पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा कोई सरकारी कागजात जिसमें उभयलिंगी के लिंग, नाम अथवा फोटो में संशोधन किया गया हो, उसकी क्रम संख्या अथवा संदर्भ संख्या वही होगी जो ऐसे उभयलिंगी व्यक्ति, जो सरकारी कागजात में नाम अथवा लिंग अथवा दोनों को बदलना चाहता है, को जारी मूल सरकारी कागजात में है।

8. आवेदन को अस्वीकृत करने की सूचनाः- (1) नियम 3 के अंतर्गत आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक को ऐसे अस्वीकृति का कारण अथवा के कारण सूचित किए जाएंगे।

WWW.LIVELAW.IN

(2) ऐसी अस्वीकृति की 30 दिनों के भीतर आवेदक द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई आपत्तियों के अनुसार, किए गए आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट अस्वीकृति के निर्णय की समीक्षा करेगा।

9. **अपील का अधिकारः-** आवेदक को आवेदन की अस्वीकृति की सूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर अंतिम आदेश के लिए समुचित सरकार द्वारा नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का अधिकार होगा।

10. धारा 8, 13, 14 और 15 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याण संबंधी उपाय, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य -

(1) उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा तथा सरकार द्वारा बनाई गई स्कीमों व कल्याण संबंधी उपायों तक उनकी पहुंच को सुलभ बनाते हुए उभयलिंगी व्यक्तियों को उसमें शामिल करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें सभी मौजूदा शैक्षणिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य स्कीमों, कल्याण उपायों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व-रोजगार स्कीमों की समीक्षा करेंगी।

(2) केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, दोनों सरकारें **अनुबंध-II** में यथा-विनिर्दिष्ट शैक्षणिक, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य स्कीमों और कल्याण स्कीमों तथा कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार करेंगी कि वे उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील, गैर-कलंकित और बिना भेदभाव के हों।

(3) केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, दोनों सरकारें, दोनों, अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी सरकारी अथवा प्राइवेट संगठन, अथवा शैक्षणिक संस्था में भेदभाव का प्रतिषेध करने और शमशान घाटों/कब्रिस्तानों सहित सामाजिक और सार्वजनिक स्थानों पर समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगी।

(4) केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें, उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन नियमों के लागू होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) में उल्लिखित संस्थागत और अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जो पुनर्वास केंद्रों तक सीमित नहीं होंगी, मानव रोगक्षम-अपर्याप्तता वायरस सीरो-सर्वालिएंस केंद्र, अस्पतालों में अलग वार्ड और प्रतिष्ठान में अलग शौचालय तैयार करेंगी।

(5) कल्याण संबंधी स्कीमों के लाभ के प्रयोजनार्थ उभयलिंगी व्यक्तियों को शिक्षित करने, जानकारी देने और प्रशिक्षित करने के लिए; उभयलिंगी व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए; उभयलिंगी व्यक्तियों के विरूद्ध कलंक और भेदभाव को हटाने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें जागरूकता अभियान चलाएगी।

(6) केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और कालेजों में शिक्षकों और संकाय के सुग्राहीकरण के लिए इस प्रकार प्रावधान करेंगीः-

(क) समानता और लैंगिक विविधता के लिए सम्मान पैदा करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यचर्या में बदलाव;

(ख) स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों का सुग्राहीकरण;

(ग) मेडिकल शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या में बदलाव; और

(घ) कार्यस्थलो में सुग्राहीकरण कार्यक्रम।

(7) सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी एक समिति होगी, जिस तक किसी प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव के मामले में उभयलिंगी व्यक्तियों की पहुंच होगी। इस समिति के पास ऐसे अधिकार होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों सहित उभयलिंगी व्यक्तियों को परेशान करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति से उभयलिंगी छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

WWW.LIVELAW.IN

(8) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन नियमों के लागू होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर अस्थायी आश्रयों, अल्पावास गृहों और आवासों, अस्पतालों में पुरूष, महिला अथवा अलग वार्ड का चयन करने और प्रतिष्ठानों में शौचालयों तक सीमित न रहते हुए संस्थागत और अवसंरचनात्मक सुविधाओं को तैयार करेंगी।

11. गैर भेदभाव के लिए प्रावधानः- (1) समुचित सरकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक परिवहन, जन जीवन में भागीदारी, खेल-कूद, अवकाश और मनोरंजन तथा पब्लिक अथवा प्राइवेट कार्यालय में कार्य करने का अवसर सहित किसी सरकारी अथवा निजी संगठन अथवा प्रतिष्ठान में भेदभाव का प्रतिषेध करने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाएगी।

(2) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उभयलिंगी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए इन नियमों के लागू होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर समुचित सरकार आवश्यक उपायों और पद्धतियों पर विस्तृत नीति तैयार करेगी।

(3) उप-धारा (2) के अंतर्गत तैयार नीति में असुरक्षित उभयलिंगी समुदायों की सुरक्षा के लिए निवारक और निरोधक प्रशासनिक और पुलिस उपाय शामिल होंगे

(4) संबंधित राज्य सरकार धारा 18 के अंतर्गत अभियोजित व्यक्तियों के समय से अभियोजन के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) उभयलिंगी व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों की निगरानी करने और अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत मामलों का समय से पंजीकृत करने, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस महानिदेशक के प्रभार में उभयलिंगी सुरक्षा सेल स्थापित करेगी।

12. रोजगार के समान अवसरः- (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान अवसंरचनात्मक समायोजनों, भर्ती, पदोन्नति और अन्य संबंधित मामलों तक सीमित न रहते हुए रोजगार संबंधी किसी मामले में उभयलिंगी व्यक्ति के विरूद्ध गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायों को कार्यान्वित करेगा।

(2) प्रत्येक प्रतिष्ठान उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति प्रकाशित करेगा।

(3) प्रतिष्ठान विशेषतः अपनी वेबसाइट पर समान अवसर नीति प्रदर्शित करेगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में अपने परिसर में विशिष्ट स्थानों पर इसे प्रदर्शित करेगा।

(4) निजी प्रतिष्ठान की समान अवसर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उल्लेख होगा -

(1) उभयलिंगी व्यक्ति प्रतिष्ठान में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वाह कर सकें, इसके लिए उभयलिंगी व्यक्तियों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं (जैसे यूनिसेक्स शौचालय), सुरक्षा के लिए उपाय (परिवहन और गार्ड) और सुविधाएं (जैसे स्वच्छता उत्पाद) प्रदान करना।

(2) कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तों के बारे में कंपनी के सभी नियमों और विनियमों को लागू करना;

(3) शिकायत अधिकारियों का ब्यौरा।

13. शिकायत निवारण- समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन नियमों की अधिसूचना लागू होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रत्येक प्रतिष्ठान धारा 11 के के अनुसार शिकायत अधिकारी नामित करेगा।

(2) शिकायत अधिकारी, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से दो दिनों के अंदर इन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।

(3) जिन शिकायतों पर उपरोक्त समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की गई है उन पर प्रतिष्ठान प्रमुख तुरंत कार्रवाई करेगा।

(4) समुचित सरकार, धारा 12 की उप-धारा (1) और (2) के विशेष संदर्भ सहित अधिनियम के अध्याय-V के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन और आउटरीच केंद्रों के माध्यम से कार्य करते

WWW.LIVELAW.IN

हुए एक वर्ष के भीतर शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करेगी।

(5) ऐसी शिकायतों के हेल्पलाइन पर आने की तारीख से तीस दिनों के भीतर शिकायत निवारण प्रणाली शिकायतों का समाधान और धारा 18 में यथा-निर्धारित शास्तियों को लागू करना सुनिश्चित करेगी।

14. राष्ट्रीय परिषद् – (1) राष्ट्रीय परिषद् राज्य और स्थानीय स्तरों पर उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण की निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन तथा अधिकारों की रक्षा संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय परिषद के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) राष्ट्रीय परिषद को अपने कार्यों को करने की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

[फा.सं. 17-2/2019-डीपी-II]

राधिका चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

प्रपत्र-1

(कृपया नियमावली 2 (घ), 3(1) और 6(1) देखें)

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6*/7* के साथ पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 के अंतर्गत उभयलिंगी पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रपत्र।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

राज्य चिन्ह राज्य सरकार (राज्य का नाम) जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय		
उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6*/7* के साथ पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 के अंतर्गत उभयलिंगी पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रपत्र। *जो लागू न हो उसे काट दें।		
1	नाम	
(i)	दिया गया नाम (बडे अक्षरों में)	
(ii)	बदला हुआ/चुना हुआ नाम (बडे अक्षरों में)	
(iii)	(i) और (ii) में से वह नाम जो पहचान प्रमाण पत्र और पहचान पत्र पर छापा जाना है।	
2	लिंग	
(i)	जन्म के समय प्राप्त	
(ii)	आवेदन में किया गया अनुरोध	
3	जन्म तिथि	तारीख/माह/वर्ष
4	शैक्षणिक योग्यता	
5	वर्तमान पता	

WWW.LIVELAW.IN

6	स्थायी पता	
7	यदि आय का स्रोत है तो, वार्षिक आय	
(i)	1,00,000 रुपए से कम	हां / नहीं
(ii)	1,00,001 रुपए और 3,00,000 रुपए के बीच	हां / नहीं
(iii)	3,00,000 रुपए से अधिक	कृपया राशि बताएं
8	क्या आपके पास निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है? यदि हां तो लिखित की स्व-प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।	
(i)	जन्म प्रमाण पत्र की तिथि	हां / नहीं
(ii)	आधार कार्ड	हां / नहीं
(iii)	पैन कार्ड	हां / नहीं
(iv)	चुनाव मतदाता पहचान पत्र	हां / नहीं
(v)	राशन कार्ड	हां / नहीं
(vii)	पासपोर्ट	हां / नहीं
(viii)	बैंक पासबुक	हां / नहीं
(ix)	मनरेगा कार्ड	हां / नहीं
(x)	जाति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपिव/अन्य)	हां / नहीं
9	**उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति का मेडिकल इतिहास**	
(i)	क्या आप उभयलिंगी परिवर्तन के संदर्भ में कोई मेडिकल हस्तक्षेप में गए थे	हां / नहीं
(ii)	कृपया ब्यौरा दें	
(iii)	अस्पताल अथवा चिकित्सकीय संस्थान का नाम और पूरा पता	
(iv)	जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, तिथि के साथ	
(v)	कोई अन्य मेडिकल स्थिति जिसे आप साझा करना चाहें	
(vi)	क्या आपको अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 के अंतर्गत कोई पहचान पत्र अथवा इस नियमावली के शुरू होने से पहले राज्य प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य पहचान पत्र जारी किया गया है? यदि हां तो संलग्न करें।	
10	कोई अन्य सूचना जो आप देना चाहें	
11	क्या आपने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 के प्रपत्र-2 में विनिर्दिष्ट शपथ पत्र भरकर संलग्न किया है	
12	क्या आपने पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न किया है?	हां / नहीं

संलग्नः आवेदन में किए गए उल्लेख के अनुसार – दस्तावेज।

WWW.LIVELAW.IN

घोषणा

1. मैं यह घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया विवरण सत्य और सटीक है।

2. इस आवेदन में दी गई सूचना को गुप्त रखा जाएगा और इसे केंद्रीय और/अथवा राज्य सुरक्षा एजेंसियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन, विधि द्वारा प्रदत्त किसी अन्य एजेंसी के साथ और सांख्यिकीय तथा नीतिगत उद्देश्य हेतु साझा नहीं किया जाएगा।

स्थानः दिनांकः	आवेदक का दिया गया नाम और हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठा का निशान

प्रपत्र-2

(कृपया नियमावली 2(ख) और 4 (1) देखें)

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 के साथ पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 के अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान हेतु प्रमाण-पत्र का आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

(शपथ पत्र 10/- रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए)

सक्षम नोटरी सिविल, जिला (जिला का नाम), (राज्य का नाम)

मैं (नाम), पुत्र/पुत्री/आश्रित की पति/पत्नी (अभिभावक/संरक्षक/पति का नाम), आयु (पूर्ण वर्षों में), आवास (पता), (तहसील), (जिला), (राज्य), (पिन कोड) एतदद्वारा सत्यानिष्ठा से दावा और घोषित करता हूं किः

1. मैं उक्त पते पर पिछले 12 माह से नियमित रूप से रह रहा हूं।
2. मैं एक उभयलिंगी व्यक्ति हूं जिसका लिंग उसके जन्म के समय प्राप्त लिंग के अनुरूप नहीं है।
3. मैं स्वयं को एक उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में घोषित करता हूं।
4. मैं यह शपथपत्र जिला मजिस्ट्रेट को उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), नियमावली, 2020 के अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 के अंतर्गत, उभयलिंगी के रूप में पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

साक्षी

(आवेदक के हस्ताक्षर)

WWW.LIVELAW.IN

सत्यापन

मैं, (नाम) यह उल्लेख करता हूं कि उक्त क्रम सं. 1 से 4 में जो भी उल्लेख किया गया है वह मेरे विवेक के अनुसार सत्य है।

साक्षी

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तहसील

तिथि **मेरे समक्ष (नोटरी)**

मेरे द्वारा अभिज्ञात

अधिवक्ता

पब्लिक

प्रपत्र 3

(कृपया नियमावली 2(ङ) और 5(1) देखें)

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के साथ पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 के नियम 5 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान प्रमाण पत्र का आवेदन प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र धारक का नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा फोटो को सत्यापित किया जाए।

1. अधोहस्ताक्षरी को दिए गए दिनांक तिथि/माह/वर्ष के आवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि (आवेदक का पूरा आवासीय पता) के श्री/श्रीमती/कुमारी/मा. (नाम) पुत्र/पुत्री/वार्ड श्री/श्रीमती (अभिभावक/संरक्षक का नाम) – एक उभयलिंगी व्यक्ति हैं।
2. उनके जन्म का नाम .... है।
3. यह प्रमाण पत्र उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 के साथ पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), नियमावली, 2020 का नियम 5 के अंतर्गत निहित उपबंधों के अनुसार जारी किया जाता है।
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/मा. .... उक्त पता के मूल निवासी हैं।
5. यह प्रमाण पत्र धारक को उसके द्वारा धारित सभी सरकारी दस्तावेजों में अपने नाम और लिंग बदलने का अधिकार देता है।

तिथिः
स्थानः

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर
मोहर

WWW.LIVELAW.IN

प्रपत्र – 4

[कृपया नियमावली 2(ङ) और 7(1) देखें]

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा-7 सहित पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 की नियमावली 6 के अंतर्गत लिंग बदलने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र धारक का नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा फोटो को सत्यापित किया जाए।

प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

1. अधोहस्ताक्षरी को चिकित्सा अधीक्षक अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अस्पताल का नाम और पूरा पता) के चिकित्सा प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि (आवेदक का पूर्ण आवासीय पता) श्री/श्रीमती/कुमारी/एमएक्स (नाम) पुत्र/पुत्री/आश्रित श्री/श्रीमती (माता-पिता अथवा संरक्षक का नाम) ने लिंग परिवर्तन के लिए चिकित्सा इंटरवेंशन प्रक्रिया पूर्ण की है।
2. उनके जन्म का नाम .... है।
3. यह प्रमाण-पत्र उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 सहित पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 की नियमावली 6 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के संदर्भ में जारी किया जाता है।
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री मूलतः ऊपर दिए गए पते का निवासी हैं।
5. यह प्रमाण-पत्र धारक को सभी आधिकारिक दस्तावेजों में नाम और लिंग बदलने का अधिकार प्रदान करता है।
6. नाम और लिंग में इस प्रकार का बदलाव और इस प्रमाण-पत्र को जारी करने से इस प्रमाण-पत्र धारक के सभी अधिकारों और पात्रताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

मुहर

दिनांकः

स्थानः

प्रपत्र – 5

WWW.LIVELAW.IN

[कृपया नियमावली 2(छ) और 5(4) देखें]

पहचान का प्रपत्र, पहचान पत्र
का सम्मुख भाग

राज्य-चिह्न

राज्य सरकार (राज्य का नाम) का

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

उभयलिंगी पहचान पत्र

पहचान पत्र संख्या

कार्ड धारक
की फोटो

नाम
माता का नाम @
पिता अथवा संरक्षक का नाम @
लिंग उभयलिंगी
जन्म तिथि अथवा दिनांक/माह/वर्ष
पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन की दिनांक तक आयु वर्ष
अधिकृत प्रमाण-पत्र का संदर्भ जिसके आधार पर
यह कार्ड जारी किया गया

पहचान पत्र का पृष्ठ भाग

वर्तमान पता
कार्ड जारी करने की तिथि
जारी करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर
पद
जारी करने वाले अधिकारी की
मुहर

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6*/ 7* और उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 की नियमावली ....के अंतर्गत जारी।

*** जो लागू न हो उसे काट दें।**

@ यदि आवेदक नाबालिक बच्चा है तो केवल उस मामले में।

WWW.LIVELAW.IN

प्रपत्र – 6

[कृपया नियमावली 2(छ) और 7(4) देखें]

पहचान का प्रपत्र

पहचान पत्र का सम्मुख भाग

राज्य-चिह्न

राज्य सरकार (राज्य का नाम) का

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

पहचान पत्र

पहचान पत्र संख्या

कार्ड धारक की फोटो

नाम

माता का नाम @

पिता अथवा संरक्षक का नाम @

लिंग उभयलिंगी

जन्म तिथि अथवा दिनांक/माह/वर्ष

पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन की दिनांक तक आयु वर्ष

अधिकृत प्रमाण-पत्र का संदर्भ जिसके आधार पर

यह कार्ड जारी किया गया

पहचान पत्र का पृष्ठ भाग

वर्तमान पता

स्थायी पता

कार्ड जारी करने
की तिथि

जारी करने वाले
अधिकारी के
हस्ताक्षर

पद

जारी करने वाले
अधिकारी की मुहर

@ यदि आवेदक नाबालिक बच्चा है तो केवल उस मामले में।

WWW.LIVELAW.IN

अनुबंध-1

..........में उल्लिखित सरकारी कागजातों की व्याख्यात्मक सूची।

क्र.सं.	**सरकारी कागजात का नाम**
(1)	जन्म प्रमाण-पत्र
(2)	जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र
(3)	स्कूल, बोर्ड, कालेज, विश्वविद्यालय अथवा अन्य ऐसे किसी अकादमिक संस्थान द्वारा जारी कोई शिक्षा प्रमाण-पत्र
(4)	चुनाव फोटो पहचान पत्र
(5)	आधार कार्ड
(6)	स्थायी खाता संख्या (पैन)
(7)	ड्राइविंग लाइसेंस
(8)	बीपीएल राशन कार्ड
(9)	फोटो सहित पोस्ट आफिस बैंक/बैंक पासबुक
(10)	पासपोर्ट
(11)	किसान पास बुक
(12)	विवाह प्रमाण-पत्र
(13)	बिजली/पानी/गैस कनेक्शन के कागजात
(14)	संपत्ति के कागजात
(15)	वाहन पंजीकरण
(16)	सेवा-पुस्तिका, नियोजन के कागजात
(17)	बार से संबंधित पहचान पत्र
(18)	पॉलिसी के कागजात

अनुबंध-II

कल्याणकारी स्कीमों की विचारार्थ सुझाई सूची।

1. स्वास्थ्य तक पहुंच

1) उभयलिंगी समुदाय को सभी एमटीएफ और एफटीएम पद्धतियों सहित सुरक्षित और निःशुल्क लिंग पुष्टिकरण सर्जरी, परामर्श और हार्मोन प्रतिस्थापन उपचार के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी अस्पताल को सुसज्जित किया जाएगा।

2) निजी अस्पतालों में उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित एसआरएस पद्धतियों, हार्मोन उपचार, लेजर उपचार, परामर्श और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य मुद्दों को राज्य चिकित्सा बीमा कवर करेगा।

3) चिकित्सा बीमा/आरोग्यश्री कार्ड।

WWW.LIVELAW.IN

4) सभी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए अलग से वार्ड सुनिश्चित करना।

2. <u>शिक्षा तक पहुंच</u>

1) उभयलिंगी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।

2) स्कूलों में समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा का प्रावधान जो समानता और लिंग विविधता के सम्मान को बढ़ावा देती है।

3) शिकायत निवारण प्रावधानों सहित शैक्षिक संस्थान में रैगिंग के विरुद्ध संरक्षण।

4) उभयलिंगी व्यक्तियों, जेंडर नॉन-कॉनफॉरमिंग और इंटर-सेक्स बच्चों के लिए आवासीय सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आवास और शिक्षा की सुविधा।

3. <u>आवास तक पहुंच</u>

1) किफायती आवास।

2) संकटग्रस्त उभयलिंगी युवाओं के लिए आश्रय और सामुदायिक केंद्र जो पौष्टिक भोजन और परामर्श प्रदान करते हों।

3) स्वच्छता सुविधाओं और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच।

4. <u>कल्याणकारी उपाय</u>

1) खाद्य सुरक्षा स्कीमों और राशन कार्ड के प्रावधान के लिए सार्वभौमिक पहुंच।

2) वृद्ध, अशक्त अथवा अन्य कमजोर उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए पेंशन।

3) घर से बहिष्करण की समस्या से जूझ रहे उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम और विश्राम गृह।

4) उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक परिवहन में उत्पीड़न मुक्त स्थल।

5. <u>आर्थिक सहयोग</u>

1) जीवन बीमा का सार्वभौमिक कवरेज।

2) ऋण सुविधा सहित बैंकिग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच।

3) मनरेगा और सभी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों जैसी रोजगार गारंटी स्कीमों में उभयलिंगी व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से शामिल करना।

4) आजीविका कार्यकलापों के लिए स्व-सहायता समूहों का गठन।

5) शून्य-ब्याज और अन्य सूक्ष्म-वित्त स्कीमों का प्रावधान।

WWW.LIVELAW.IN

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2020

G.S.R. 441(E).—The following draft of the Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 22 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (40 of 2019) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Suggestions and objections, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001;

The suggestions and objections , which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Transgender Persons (Protection of Rights) Rules,2020.

(2) They shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (40 of 2019);

(b) "affidavit" means self-attested affidavit in **Form – 2** to be submitted by an applicant seeking certificate of identity in their self-identified gender ;

(c) "applicant" means a transgender person who submits an application under rule 3;

(d) "application" means the application form as provided in **Form – 1;**

(e) "certificate of identity" means a certificate issued by the District Magistrate under section 6 or section 7 of the Act as in **Form – 3** or **Form – 4** respectively;

(f) "discrimination" means any distinction, exclusion or restriction on the basis of gender identity and expression which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field and includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation;

(g) "identity card" means a photo identity card issued in **Form – 5** to a transgender person under section 6 or issued in **Form - 6** to a transgender person on change of gender under section 7 on the basis of "certificate of identity" issued by the District Magistrate or an identity card to a transgender person issued by a State authority prior to the coming into force of these rules;

(h) "medical institution" means any medical institution whether hospital or clinic, private or public, in rural areas or urban or overseas;

(i) "any official documents" include all documents listed in Annexure 1, which the appropriate Government may revise, by notification in the Official Gazette;

(j) "procedure' means procedure to be adopted by District Magistrate for issue of certificate of identity under section 6 or section 7;

(k) "section" means section of the Act;

(l) all other words and expressions used herein but not defined herein and defined in the Act shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. Application for issue of certificate of identity under section 6 or section 7:

(1) A transgender person desirous of obtaining a certificate of identity shall make an application as prescribed in **Form – 1.**

(2) The application shall be submitted to the District Magistrate in person or by post till online facilities are developed by the State Government concerned and thereafter the application shall be made online only:

WWW.LIVELAW.IN

Provided that the appropriate Government may undertake measures, as it deems appropriate, to facilitate the submission of applications for certificate of identity by transgender persons living in remote areas or disadvantaged conditions:

Provided further that in case of a minor child, such application shall be made by a parent or guardian of such minor child and in the case of a child in need of care and protection, by the competent authority under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act,2015 (of 2015).

(3) Transgender persons who have officially recorded their change in gender, whether as male, female or transgender, prior to the coming into force of the Act shall not be required to submit an application for certificate of identity under these rules:

Provided that such persons shall enjoy all rights and entitlements conferred on transgender persons under the Act.

4. **Procedure for issue of certificate of identity under section 6.- (1)**The District Magistrate shall, subject to its correctness get the application processed based on the affidavit submitted declaring the gender identity of any person in Form - 2, but without any medical examination, and issue an identification number to the applicant, which may be quoted as proof of application.

(2) For the purpose of determination of the place of residence, the applicant shall be a resident of the area under the jurisdiction of District Magistrate for a continuous period of past twelve months as on the date of application and an affidavit to this effect shall be submitted in Form-2 and no additional evidence shall be called for.

5. **Issue of certificate of identity for a transgender person under section6.- (1)**The District Magistrate shall issue to the applicant, a certificate of identity in Form – 3 following the procedure provided in Rules 4 indicating the gender of such person.

(2) The said certificate of identity shall be issued within thirty days of receipt of duly filled in application along with the affidavit.

(3) The certificate of identity issued under sub-rule(1) shall be the basis to change the gender as well as the name and the photograph, if so necessitated, of the transgender person in all such official documents as provided in **Annexure – 1**, in accordance with the gender specified in the said certificate of identity.

(4) The District Magistrate shall, at the time of issuance of the certificate of identity under sub-rule(1), issue a transgender identity card in **Form – 5** to the applicant.

(5) Issue of the said certificate of identity and the transgender identity card shall be included by the appropriate Governments in their records for the purposes of public service.

(6) The authority that issued the official document, on an application made by an applicant under rule 3, shall change the name or gender or both of the applicant in the official documents within fifteen days of making of such application.

(7) Any official document wherein gender, name and the photograph of transgender are revised based on the said certificate of identity, shall bear the same serial or reference number as in the original official document of such transgender person who seeks change in the name or gender or both in the official documents:

Provided that all benefits that a transgender person was entitled to based on an identity card, if any, issued by a State authority shall continue to be enjoyed by that transgender person based on the certificate of identity issued under these rules.

6. Procedure for issue of a certificate of identity for change of gender under section 7.-

(1) If a transgender person undergoes medical intervention to change sex either as a male or female, such person may apply in the **Form – 1**, along with a certificate issued to that effect by the Medical Superintendent or Chief Medical Officer of the medical institution in which that person has undergone the said medical intervention, to the District Magistrate for the issue of a revised certificate of identity under section 7.

(2) The District Magistrate shall, on receipt of an application referred to in sub-rule (1) shall verify the correctness of the said medical certificate.

(3) For the purpose of determination of the place of residence, the applicant shall be a resident of the area under the jurisdiction of the District Magistrate for a continuous period of past twelve months as on the date of application and an affidavit to this effect shall be submitted along with the application in Form-1 and no additional evidence shall be called for.

7. **Issue of certificate of identity under section7.-** (1)The District Magistrate shall issue a revised certificate of identity in Form – 4 to the applicant seeking change in gender under section 7, indicating the gender of such a person as male or female, as the case maybe.

WWW.LIVELAW.IN

(2) The District Magistrate shall issue the revised certificate under sub-rule (1) within fifteen days of its receipt.

(3) The certificate of identity issued under sub-rule (1) shall entitle the applicant to record or change the gender, photograph as well as the name, if so necessitated, of transgender person in all such official documents provided in **Annexure – 1,** in accordance with the gender specified in the said certificate of identity as male or female, as the case may be.

(4) The District Magistrate while issuing the certificate of identity for change of gender shall simultaneously issue an identity card in **Form – 6** to the applicant.

(5) Issue of the certificate of identity and the identity card shall be included by appropriate Governments in their records for the purposes of public services.

(6) The authority that issued the official document, on an application made by an applicant under rule 3, shall change the name or gender or both of the applicant in the official documents within fifteen days of making of such application.

(7) Any official document wherein gender, name or photograph of transgender is revised based on the said certificate of identity shall bear the same serial or reference number as in the original official document of such transgender person who seeks change in the name or gender or both in the official documents.

8. **Communication of rejection of application-** (1)In case of rejection of application made under rule 3, the District Magistrate shall inform the applicant the reason or reasons for such rejection.

(2)The District Magistrate may review the decision of rejection of the application based on a request by the applicant complying with the objections raised by District Magistrate made within thirty days from the date of such rejection.

9. **Right to appeal:-**The applicant shall have a right to appeal, within sixty days from the date of intimation of the rejection of the application, to the appellate authority as designated by the appropriate Government for a final order.

10. Welfare measures, education, social security and health of transgender persons by appropriate Government under sections 8, 13, 14 and 15 -

(1) The State/UT Governments shall review all existing educational, social security, health schemes, welfare measures, vocational training and self-employment schemes to include transgender persons to protect their rights and interests and facilitate their access to such schemes and welfare measures framed by that Government.

(2) Both the Central and State/UT Governments shall formulate educational, social security and health schemes and welfare schemes and programmes as specified in Annexure-II in a manner to be transgender sensitive, non-stigmatising and non-discriminatory to transgender persons.

(3) Both the Central and State/UT Governments shall take adequate steps to prohibit discrimination in any Government or private organisation, or educational institution under their purview, and ensure equitable access to social and public spaces, including burial grounds.

(4) The Central/State/UT Government shall create institutional and infrastructure facilities, including but not limited to, rehabilitation centre referred to in sub-section (3) of section 12 of the Act, separate human immunodeficiency virus sero-surveillance centres, separate wards in hospitals and washrooms in the establishment, within two years from the date of coming into force of these rules to protect the rights of transgender persons.

(5) The State/UT Government shall carry out an awareness campaign to educate, communicate and train transgender persons to avail themselves of the benefits of welfare schemes, educate and train transgender persons on their rights; eradicate stigma and discrimination against transgender persons and mitigate its effects.

(6) The Central/State/UT Government shall also provide for sensitisation of teachers and faculty in schools and colleges under their purview, such as-

a. changes in the educational curriculum to foster respect for equality and gender diversity;

b. sensitisation of healthcare professionals;

c. changes in the curriculum for medical education; and

d. sensitization programmes in workplaces

(7) All educational institutions shall have a committee which transgender persons can approach in case of any harassment or discrimination, with powers to ensure that transgender students do not have to be affected by the presence of the persons bullying them, including teachers.

WWW.LIVELAW.IN

(8) The State/UT Government shall create institutional and infrastructure facilities, including but not limited to, temporary shelters, short-stay homes and accommodation, choice of male, female or separate wards in hospitals and washrooms in the establishment within two years from the date of coming into force of these rules to protect the rights of transgender persons.

11. **Provisions for non-discrimination.-** (1)The appropriate Government shall also take adequate steps to prohibit discrimination in any Government or private organisation or establishment including in the areas of education, employment, healthcare, public transportation, participation in public life, sports, leisure and recreation and opportunity to hold public or private office.

(2) The appropriate government shall within two years from the date of coming into force of these rules, formulate a comprehensive policy on the measures and procedures necessary to protect transgender persons in accordance with the provisions of the Act.

(3) The policy formulated under sub-section (2) shall include precautionary and preventative administrative and police measures to protect vulnerable transgender communities.

(4) The concerned State Government shall be responsible for the supervision of timely prosecution of individuals charged under section 18.

(5) Every State Government shall set up a Transgender Protection Cell under the charge of the District Magistrate and Director General of Police to monitor cases of offences against transgender persons and to ensure timely registration, investigation and prosecution of cases under section 18 of the Act.

12. **Equal opportunities in employment.-** (1)Every establishment shall implement all measures to ensure non-discrimination against any transgender person in any matter relating to employment including, but not limited to, infrastructure adjustments, recruitment, promotion and other related issues.

(2) Every establishment shall publish an Equal Opportunity Policy for transgender persons.

(3) The establishment shall display the Equal Opportunity Policy preferably on their website, failing which, at conspicuous places in their premises.

(4) The Equal Opportunity Policy of a private establishment shall, inter alias, contain details of -

a) infrastructural facilities (such as unisex toilets), measures put in for safety and security (transportation and guards) and amenities (such as hygiene products) to be provided to the transgender persons so as to enable them to effectively discharge their duties in the establishment.

b) applicability of all rules and regulations of the company regarding service conditions of employees;

c) details of the complaint officers.

13. **Grievance redressal.-**The appropriate Government shall ensure that every establishment designates a complaint officer in accordance with section 11 within thirty days from the date of coming into force notification of these rules.

(2) The complaint officer shall act upon the complaints received within two days from the date of receipt of such complaints.

(3) The head of the establishment shall take action forthwith in all cases where action has not been taken with in accordance with the above time limits.

(4) The appropriate Government shall also set up within one year a grievance redressal mechanism, operating through a helpline and outreach centres, for ensuring proper implementation of the provisions of Chapter V of the Act with special reference to sub-sections (1) and (2) of section 12.

(5) The grievance redressal system shall ensure resolution of grievances within thirty days from the date of bringing of such grievance to the helpline, and imposing of penalties as laid down in section 18.

14. **National Council** – (1) The National Council shall be responsible for coordination with the National Council on matters of monitoring, review and evaluation of transgender welfare and protection of rights at the State and local levels.

(2) National Institute of Social Defence shall act as the secretariat to the National Council to facilitate it in the discharge of its functions.

[F.No. 17-2/2019-DP-II]

RADHIKA CHAKRAVARTHY, Jt. Secy.

WWW.LIVELAW.IN

Form – 1

[See rules 2(d), 3(1) and 6(1)]

Application form for issue of transgender certificate of identity under under Rule Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020 read with Section 6* / 7* of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

*** Strike out whichever is not applicable**

State Emblem

State Government of (name of the tate)
Office of the District Magistrate

Application form for issue of a transgender certificate of identity under Rule Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020

(read with Section 6* / 7* of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

* Strike out whichever is not applicable)

1	**Name**	
(i)	Given name (in capital letters)	
(ii)	Changed/Chosen name (in capital letters)	
(iii)	Out of (i) and (ii), name to be printed in the certificate of identity and in the identity card	
2	**Gender**	
(i)	Assigned at birth	
(ii)	Requested in the application	
3	**Date of birth**	dd/mm/yyyy
4	**Educational qualification**	
5	**Present address**	
6	**Permanent address**	
7	**If there is a source of income, the annual income:**	
(i)	Under Rs 1,00,000	YES / NO
(ii)	Between Rs 1,00,001 and 3,00,000	YES / NO
(iii)	Above Rs 3,00,000	Please specify the amount:
8	**Do you have any of the following documents? If so, please submit self- attested photocopies of the certificates stated below.**	
(i)	Date of birth certificate	YES / NO
(ii)	Aadhaar card	YES / NO
(iii)	PAN card	YES / NO
(iv)	Election Voter Identity Card	YES / NO
(v)	Ration card	YES / NO
(vii)	Passport	YES / NO
(viii)	Bank passbook	YES / NO
(ix)	MNREGA Card	YES / NO

WWW.LIVELAW.IN

(x)	Caste certificate (SC/ST/OBC/Others)	YES / NO
9	**Medical history (for those applying under section 7 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019**	
(i)	Have you undergone any medical intervention in the context of transgender transition?	YES / NO
(ii)	Please give details	
(iii)	Name and complete address of the Hospital or medical institute	
(iv)	Name of the issuing authority along with the date	
(v)	Any other medical status you would like to share	
(vi)	Have you been issued any certificate of identity under Section 6 and Section 7 under the Act, or any other ID Card issued by the State Authority before the commencement of these Rules? If so, enclosed the same.	
10	Any other information you would like to give	
11	Have you attached affidavit prescribed in Form – 2 of the Transgender Persons(Protection of Rights) Act, 2019 under Rule--Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020	
12	Have you attached the passport size photographs?	Yes/No

Enclosed:_______documents as mentioned in the application

Declaration

1. I declare that the particulars furnished by me are true and correct.
2. Information provided in this application will be treated as confidential and shall not be shared with any person or organisation save the Central and / or State security agencies. any other agency as provided by Law; and for statistical and policy framing purposes.

Place: Date:	Signature or left hand thumb impression of the applicant Given name of the applicant

Form – 2

[See rules 2(b) and 4(1)]

Format of affidavit to be submitted by a person applying for certificate of identity for transgender persons under Rule 4 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020 read with Section 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act,2019

(Affidavit should be on Non-judicial stamp paper of Rs.10/-) Competent Notary Civil, District (Name of the District), (Name of the State)

I, (Name), son/daughter/ward/spouse of (name of the parent/guardian/husband) , aged

______(in completed years), residing at (address), (Tehsil), (District), (State) (Pin code) do hereby solemnly affirm and declare asunder:

1. I am a resident of the above address continuously for the past 12 months.

WWW.LIVELAW.IN

2. I perceive myself as a transgender person whose gender does not match with the gender assigned at birth.

3. I declare myself as a transgender.

4. I am executing this affidavit to be submitted to the District Magistrate for issue of certificate of identity as transgender person under Section 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 under Rule Transgender Persons (Protection of Rights) Rules,2020.

.* strike out whichever is not applicable.

Deponent

(Signature of the Applicant)

Verification

I, (Name), hereby state that whatever is stated here in above serial Nos. 1 to 4 are true to the best of my knowledge.

Deponent

(Signature of the Applicant)

Tehsil

Date

Identified by me Before Me

Advocate Notary

Public

Form – 3

[See rules 2(e) and 5(1)]

Form of certificate of identity to be issued by District Magistrate under Rule 5 Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020 read with section 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

Photograph of the certificate holder District Magistrate to attest the photograph

1 On the basis of the application dated dd/mm/yyyy to the undersigned it is certified that Shri /Smt / Km/ Mx (name) son / daughter / ward of Shri/ Smt (name of the parent or Guardian) of (complete residential address of the applicant)is a transgender person.

2 His / her birth name is_________________________.

3 This certificate is issued in terms of the provisions contained under Rule 5 Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020 read with section 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act,2019.

4 It is also certified that Shri / Smt/Km/Mx______________________is ordinarily a resident at the address given above.

5 This certificate entitles the holder to change name and gender in all official documents of the holder.

Date Signature of the District Magistrate:

Place Seal

WWW.LIVELAW.IN

Form – 4

[See rules 2(e) and 7(1)]

Form of certificate of identity for change of gender to be issued by District Magistrate under Rule 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020 read with section 7 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

Photograph of the certificate holder District Magistrate to attest the photograph

1. On the basis of the application submitted to the undersigned along with a medical certificate from the Medical Superintendent or Chief Medical Officer (name of the Hospital and complete address), it is to certify that Shri / Smt/ Km/ Mx (name) son / daughter / ward of Shri/ Smt (name of the parent or Guardian)of (complete residential address of the applicant) has undergone medical intervention to change gender.
2. His/ Her birth name is__________________.
3. This certificate is issued in terms of the provisions contained under Rule 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020 read with section 7 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act,2019.
4. It is also certified that Shri / Smt/ Km/ Mx is ordinarily a resident at the address given above.
5. This certificate entitles the holder to change name and gender in all official documents of the holder.
6. Such change in name and gender and the issue of this certificate shall not adversely affect the rights and entitlements of the holder of this certificate.

Date — Signature of the District Magistrate:

Place — Seal

Form – 5

[See rules 2(g) and 5(4)] Form of Identity Card Front side of

identity card

State Emblem

State Government of (name of the State) Office of the District Magistrate

Transgender Identity Card

Identity card number

Photograph of the Card holder

WWW.LIVELAW.IN

Name

Mother's name@

Father's or Guardian's name @

Gender Transgender

Date of birth **or** dd/mm/yyyy

Age as on the date of application for issue of ___years identity card

Reference number of certificate of authority on the basis of which this card is issued

Back side of the identity card

Present address

Card issue date

Signature of the issuing authority Designation

Seal of the issuing authority

Issued under Section 6*/ 7* of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 and under Rule______________________of Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020

*** Strike out whichever is not applicable**

@ only in case the applicant is a minor child

Form – 6

[See rules 2(g) and 7(4)] Form of Identity Card Front side of identity card

State Emblem

State Government of (name of the State) Office of the District Magistrate

Identity Card

Identity card number

Photograph of the Card holder

WWW.LIVELAW.IN

Name

Mother's name@

Father's / Guardian's name@

Gender Male / Female

Date of birth **or** dd/mm/yyyy

Age as on the date of application for issue of ___years identity card

Reference number of certificate of authority on the basis of which this card is issued

Back side of the identity card

Present address

Permanent address

Card issue date
Signature of the issuing authority

Designation

Seal of the issuing authority

@ only in case of a minor child

Annexure- 1

Illustrative list of official documents referred to in_________________

S No	Name of the official document
(1)	Birth certificate
(2)	Caste/ Tribe certificate
(3)	Any education certificate issued by a school, board, college, university or any such academic institution
(4)	Election Photo Identity Card
(5)	Aadhaar Card
(6)	Permanent Account Number (PAN)
(7)	Driving Licence
(8)	BPL ration card
(9)	Post Office bank/ Bank Pass book with photo
(10)	Pass port
(11)	Kisan Pass book
(12)	Marriage certificate
(13)	Electricity / water/ gas connection paper
(14)	property papers,
(15)	vehicle registration

WWW.LIVELAW.IN

(16)	service book, employment papers
(17)	identity card related to bar,
(18)	policy papers

Annexure - II

Suggested list of welfare schemes to be considered:

1. Access tohealth

a) At least 1 government hospital in every State shall be equipped to offer safe and free gender affirming surgery, counseling and hormone replacement therapy to the transgender community, including all MTF and FTM procedures.

b) State medical insurance shall cover procedures of SRS, hormonal therapy, laser therapy, counselling and other health issues of transgender persons at private hospitals

c) medical insurance/arogyashri cards,

d) All healthcare facilities should ensure that that there are separate wards for transgender persons

2. Access to education

a) Scholarship for transgender students

b) Inclusive and equitable quality education in schools that fosters respect for equality and gender diversity

c) Protection against ragging in the educational institutions with provisions for grievance redressal

d) Facilitation of accommodation and schooling for transgender, gender non conforming and intersex children in residential government schools and universities

3. Access to housing:

a) Affordable housing

b) Shelters and community centres for at risk transgender youth that provide nutritious food and counselling.

c) Access to sanitation facilities and safe drinking water

4. Welfare measures

a) Universal access to Food security schemes and provision of ration cards,

b) Pension for aged, disabled or other vulnerable transgender persons

c) Old age and retirement homes for transgender persons facing housing exclusion

d) Public transport to have harassment-free zones for transgender persons

5. Economic support

(1) Universal coverage of Life Insurance

(2) Access to banking and financial services including loans

(3) Explicit inclusion of transgender persons in employment guarantee schemes such a s MNREGA and all social security schemes,

(4) Formation into self help groups for livelihood activities

(5) Provisions of zero-interest and other micro-finance schemes

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.13 21:27:47 +05'30'